

आदेश - पत्रक

अभिलेख सं० 39/2021-22

केश का प्रकार :-

कोतरे बसंतपुर पचमो कोल परियोजना के तहत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एवं गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी एवं अधिसूचित वन भूमि का अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत गोमिया प्रखण्ड में ग्राम-रहावन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

ग्राम वन अधिकार समिति ग्राम - रहावन, अंचल - गोमिया के पत्रांक-1147, दिनांक 20.11.2021 के द्वारा ग्राम-रहावन में गोमिया प्रखण्ड में कोतरे बसंतपुर पचमो कोल परियोजना कार्य के संबंध में अपयोजन (अनापत्ति) प्रमाण-पत्र देने हेतु अनुशंसा कर भेजा गया है।

अनापत्ति (अपयोजन) प्रमाण-पत्र प्राप्तकर्ता का नाम :-

महाप्रबंधक, सी०सी०एल०, कोतरे बसंतपुर, पचमो द्वारा अधियाचित पत्र के आलोक में अपयोजन (अनापत्ति) प्रमाण-पत्र के लिए जमीन का प्लॉट ग्राम - रहावन।


क्र०	अंचल का नाम	राज्य ग्राम	परियोजना का नाम	थाना नं०	खाला नं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए०)	किस्म
1	गोमिया	रहावन	कोतरे बसंतपुर पचमो कोल परियोजना हेतु	29	02	49	2.50	गैरमजरूआ जंगल झाड़ी
कुल							2.50	

कुल -2.50 एकड़ अधिसूचित वन भूमि जंगल झाड़ी/गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि है, जो अंचल गोमिया के ग्राम-रहावन ग्राम के अन्तर्गत है।

ग्राम वन अधिकार समिति, रहावन के अनुशंसा के आलोक में उक्त वर्णित भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत अब तक ग्राम वन समिति के पास कोई दावा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम समा के कार्यवाही की प्रति भी पत्र के साथ संलग्न है।

इस संदर्भ में दिनांक 06.12.2021 को अनुमण्डल वन अधिकार समिति, बेरमो (तेनुघाट) के बैठक में समिति सर्वसम्मति से अपयोजन (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) देने हेतु निर्णय किया गया, की प्रति अभिलेखबद्ध है।

अतः अभिलेख जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बोकारो को आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी, बोकारो को भेजे।

  
अध्यक्ष  
अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार  
समिति-साह-अनुमण्डल पदाधिकारी  
बेरमो (तेनुघाट)।

राजीव हुई / RAJIB HUI  
परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
कोतरे बसंतपुर पचमो कोल परियोजना  
Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine  
सी०सी०एल०, राँची / C.C.L., Ranchi

# कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट)।

कल्याण शाखा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना हेतु वन अधिकार समिति के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से अनापत्ति हेतु ग्राम सभा आयोजन किया गया। ग्राम सभा में वनाधिकार समिति अध्यक्ष / सचिव तथा ग्रामीणों द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया। अंचल - गोमिया के पत्रांक-1147, दिनांक 20.11.2021 के प्रतिवेदानुसार ग्राम - रहावन में संरक्षित वन भूमि के रूप में जमीन विवरणी निम्न है :-

क्र०	अंचल का नाम	राज्य शासक परियोजना का नाम	भूमा न०	खता न०	प्लॉट न०	रकबा (व०)	किमा	
1	गोमिया	रहावन	कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना हेतु	29	02	49	2.50	
कुल							2.50	अभिलेखना जगत शाही

कुल रकबा- 2.50 एकड़ गैरसज्ज्या जंगल शाही भूमि के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।

- 1) प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि उपयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तु स्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।
- 2) प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि उपयोग के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गए निर्णय के समय ग्राम सभा के उपस्थिति कोरम पूर्ण था।
- 3) प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जन जाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (1) (e) के अनुसार किया जाता है कि रक्षित किया गया है।
- 4) प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि उपयोग का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।
- 5) यह अनापत्ति संबंधित ग्राम की ग्राम सभा एवं अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के निर्णय के आलोक में दी जा रही है।

अनुमण्डल-कल्याण पदाधिकारी,  
बेरमो (तेनुघाट)

सहायक वन संरक्षक पदा०  
बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो

अध्यक्ष  
अनुमण्डल वनाधिकार समिति  
सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट)

राजीव हुई / RAJIB HUI  
परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना  
Kotra Bantanpur Pachmo Coal Mine  
राजीव हुई, C.C.L., Ranchi

## कार्यालय अंचल अधिकारी, गोमिया (बोकारो)

अभिलेख सं० :- 09 / 2021-22  
 केश का प्रकार :- कोतरे बसंतपुर-पचमों कोल माईन्स(सी०सी०एल०) पड़ने वाली भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत वन भूमि अपयोजन से संबंधी।  
 अंचल का नाम :- गोमिया जिला -बोकारो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख  
9

### आदेश फलक

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी करीब के साथ  
३

अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के पत्रांक - 882/रा०, दिनांक - 13/08/2021 एवं अंचल अधिकारी के ज्ञापक सं० - 790, दिनांक - 13/08/2021 के आलोक में गोमिया अंचल अन्तर्गत मौजा-रहावन में कोतरे-बसंतपुर-पचमों कोल परियोजना के तहत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी एवं अधिसूचित वन भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा का आयोजन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु महाप्रबंधक, कोतरे बसंतपुर-पचमों द्वारा अधियाचना पत्र प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में निम्न वर्णित वन भूमि का स्थानीय वनाधिकार समिति से ग्राम सभा के माध्यम से अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।


#### भूमि का विवरण


क्र०स०	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	अधिसूचित वन भूमि जंगल-झाड़ी (एकड़) में।	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (एकड़) में	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रहावन	29	2	49	0.00	2.50	2.50
कुल					0.00	2.50	2.50


उक्त के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से निरंतर दिनांक 25/08/21 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। निर्धारित तिथियों में स्थानीय ग्रामीणों, मुखिया, परियोजना पदाधिकारी, सी०सी०एल०, बसंतपुर कोतरे -पचमों की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित कर उपरोक्त वन भूमि का अनापत्ति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त सभी परिप्रेक्ष्य के आलोक में संबंधित भूमि कोतरे बसंतपुर-पचमों सी०सी०एल० को अपयोजन किया गया।

अतः प्राप्त ग्राम सभा की मूल प्रति संलग्न करते हुए विषयांकित परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मूल अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) को भेजें।

लेखापित

  
 अंचल अधिकारी,  
 गोमिया।

  
 राजीव हुई / RAJIB HUI  
 परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
 कोतरे बसंतपुर पचमों कोल परियोजना  
 Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine  
 सी०सी०एल०, बोकारो / C.C.L., Ranchi





राजीव हुई / RAJIB HUI  
परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
कोठरे बसंतपुर जंगम कोल परियोजना  
Kotre B / Basantpur Jangam Coal Mine  
सी.सी.एल., रांची / C.C.L., Ranchi



4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियाँ यदि कोई हो :  
अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य  
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

श्री	खाना	प्लॉट सं०	खाना (रकब. ई.)	किस्
दावन	2	49	0-00 - Notified 2-50 - G.M/55	

  
 दावेदार (रॉ) कोटरी/अंगरे का निशान  
 RAJIB HUI  
 परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
 कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना  
 Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine  
 सी.सी.एल., राँची / C.C.L., Ranchi

  
 परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
 कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना  
 Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine  
 सी.सी.एल., राँची / C.C.L., Ranchi

द्वितीय प्रति : वन अधिकार समिति के लिए

क्र. सं.

सामुदायिक अधिकार दावा प्रारूप (निःशुल्क)

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1) (क) और 11 (4) देखें।

1. दावेदार (रो) का/के नाम

सीकूल कैलकिलस लिमिटेड

(क) एफ डी.एस.टी. (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं.....

(ख) ओ.टी.एफ.डी. (अन्य परम्परागत वन निवासी) समुदाय : हाँ/नहीं.....

2. ग्राम

रहापत

3. पंचायत

पंचगाँ

4. प्रखण्ड /अंचल :

सीपिया

5. जिला :

लैकरी

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :-

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :

(अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

वन क्षेत्र पदाधिकारी

तेनघाट वन प्रक्षेत्र

सीकूल कैलकिलस लिमिटेड

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय)

यदि कोई हो

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारम्परिक संसाधनों तक यायावरों और

पशुपालकों की पहुँच, यदि कोई हो,

(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पी.टी.जी (अत्यसख्याक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियों यदि कोई हो :  
अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)
5. जब विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो :  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य  
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

श्री	खता	चलान्त शि.0	खताना (रु.क.3, 4)	दिनांक
श्री	2	40	0.00	10/11/20
श्री			2.50	11/11/20

दावेदार (री) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
 राजीव हुई / RAJIB HUI  
 परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
 कोतरे बसंतपुर पंचमी कोल परियोजना  
 Kotre Basantpur Pachmo Coal  
 सी.सी.एल. राँधी / C.C.L., Rañchi



4. पी.टी.जी. (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पुर्ववास की सामुदायिक अवधियों यदि कोई हो  
अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें
5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का अधिकार, यदि कोई हो  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)
6. अन्य पारम्परिक अधिकार, यदि कोई हो  
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)
7. समर्थन में साक्ष्य  
(नियम 13 देखें)
8. अन्य कोई सूचना :

११  
मीला

खारा सि०

पकीत सि०

खारा (खंड, नं०) सि०

अहाबत

2

49

0.00 - Hot/Free Job

2.50 - 01/11/99

दावेदार (सं) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

राजीव हुई / RAJIB HUI

परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER

कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना

Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine

सी०सी०एल०, राँची / C.C.L., Ranchi

राजीव हुई / RAJIB HUI  
परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना  
Kotre Basantpur Pachmo Coal Mine  
सी०सी०एल०, राँची / C.C.L., Ranchi

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत सी0सी0एल0 के कोतरे बसतपुर-पंचमी कोल माईन्स (सी0सी0एल0) हेतु वन अधिकार समिति के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से अनापत्ति हेतु मौजा-रहावन में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में वनाधिकार समिति अध्यक्ष/सचिव तथा ग्रामीणों द्वारा सशर्त अनापत्ति दी गई। जो निम्नवत् है :-

- i. वन अधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा निर्गत किया जाए।
- ii. स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अस्पताल का निर्माण किया जाए।
- iii. शिक्षा हेतु विद्यालय का निर्माण किया जाए।
- iv. सी0एल0 आर0 मट्ट से पानी, बिजली की व्यवस्था की जाए।
- v. मनरेगा योजना के तहत विकास कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं किया जाए।
- vi. नियोजन एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन किया जाए।
- vii. भूदान एवं गैरमजलूआ भूमि पर नियोजन संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाए।
- viii. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भकान निर्माण कार्यों में प्राथमिकता दी जाए।

अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक-790, दिनांक-13.08.2021 के प्रतिवेदनानुसार ग्राम-रहावन वन भूमि के रूप में कुल-2.50ए0 प्राप्त विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	मौजा	थाना सं0	खाला सं0	प्लॉट सं0	अधिसूचित वन भूमि जंगल-झाड़ी (ए0) में	गैरमजलूआव जंगल-झाड़ी (ए0) में	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रहावन	29	2	49	0.00	2.50	2.50
<b>Total</b>					0.00	2.50	2.50

कुल-2.50ए0 वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।


1. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पढ़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तु स्थिति स्थानीय भाखा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यायित कर दी गई है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा सशर्त अनापत्ति दी गई।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिखे गए निर्णय के समय ग्राम सभा के उपस्थिति कोरम पूर्ण था।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जन जाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (1) (e) के अनुसार किया जाता है कि रक्षित किया गया है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।
5. यह अनापत्ति संबंधित ग्राम की ग्राम सभा एवं अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के निर्णय के आलोक में दी जा रही है।

परियोजना पदाधिकारी  
कोतरे बसतपुर-पंचमी कोल परियोजना,  
(सी0सी0एल0)।

राजीब हुई  
अधिकारी  
गोमिया (कोतरे)

राजीब हुई RAJIB HUI  
परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
कोतरे बसतपुर पंचमी कोल परियोजना  
8 Kotre Basantpur Panchmi Coal Mine  
सी0सी0एल0, राँची / C.C.L., Ranchi

५१२५१७ ५१



LEADING  
 1. Panchmo (Basantpur)  
 2. Basantpur  
 3. Pachmo  
 4. Kotri

Rahawan  
 मण्डल नाम राहवान  
 ग्रामा नम्बर २८  
 ग्रामा मीरिया  
 परगना सिंगर  
 जिला हजोबाबा  
 राजस्थान के मेल वर का  
 भाग ५८-१०-१०-१०

भूमि मापन विभाग  
 राजस्थान सरकार  
 जयपुर

Superintendent of Survey

Handwritten signature and text in the top left corner.

Handwritten signature and text in the middle left corner.

मन शंभर पदाधिकारी  
 कोतरे बसंतपुर पंचमो

राजीव हुई / RAJIB HUI  
 परियोजना पदाधिकारी / PROJECT OFFICER  
 कोतरे बसंतपुर पंचमो कोल परियोजना  
 Kotri Basantpur Pachmo Coal Mine  
 सी.सी.एल. राँची / C.C.L., Ranchi







- ① श्रीमती कावली
- ② पी. एम. कावाल
- ③ बन आसिकार का उपभोग
- ④ प्रशास द्वारा विकास कार्य
- ⑤ नया प्रोजेक्ट खुलने पर नौकरी
- एक मुलाजजा
- ⑥ श्रीमती का डाक्टर का विश्व
- ⑦ टिकेन्द्र (महो)
- ⑧ लो

शशि का सहायक ⑨ सदन विजली

विशुभा साव ⑩ उच्च विद्यालय पारित ⑪ रहवान से जंगल तक सड़क निर्माण

श्रीमती साव ⑫

गौहन

श्रीमती का मांग

लड़कों परियोजना कारखाने परियोजना एवं लड़कों परियोजना गौमिया प्रखण्ड के अन्दर में।

① पुनः कि लम्बीत जमीन के बदले नौकरी का फाईल को अविलम्ब आगे बढ़ाए।

② जिन रूयतों का जमीन का बूकवान नहीं हुआ उस रूयतों को अविलम्ब बूकवान किया जाए।

③ जो नुपरीय कोई से निमित्त हुआ हुआ है उक्त दर से मुवावजा कैंटीन के द्वारा मिले

विद्यार्थी नियुक्त किए जाए।

4) प्रखण्ड के द्वारा जो लाभ ज़मीनों को दिया जा रहा था उसे अभी बन्द है जैसे -

1) पाप अनाज आदि सभी सुविधाएँ पुनः चालु किया जाए।

2) अग्रखण्ड परिषद के द्वारा जो भी सुविधाएँ दिया जा रहा था उसे बन्द है जैसे -  
स्वास्थ्य शिक्षा जैसे पुनः चालु किया जाए।

3) वन भूमि अक्ट 2006 के तहत अधिकार दिया जायगा है। उसका सु समापन किया जाए।

4) अग्रखण्ड परिषद के द्वारा विजली का खर्च का नपितनीकरण किया जाए एवं सुचारु रूप से विजली प्राप्त हो।

5) 40 बरों से जिस जमीन पर रैत जोत अविज किया जा रहे है रैत को लेन पट्टा दिया जाए।

इन सभी पहलुओं पर अग्र आम विचार करेते हैं तो हम सभी रैत आपके साथ हैं अन्यथा इस बसरा का विरोध करेते हैं।

श्रीमती का हस्ताक्षर

@Baldeo Malhotra, 25/08/2021

2) कल्याण अदालत में आपत्ती को साथ में सिद्ध करने का कार्य है।

1) मुद्रा प्रवृत्ति - 28/11/11 37.45 क लायन

2) विद्युत लायन - 28/11/11

3) लक्ष्मी देवी - 28/11/11

4) अलखिनी देवी - 28/11/11

5) प्रेमिणी देवी - 28/11/11

6) अलखिनी देवी - 28/11/11

7) अलखिनी देवी - 28/11/11

8) अलखिनी देवी - 28/11/11

9) अलखिनी देवी - 28/11/11

10) अलखिनी देवी - 28/11/11

11) अलखिनी देवी - 28/11/11

12) अलखिनी देवी - 28/11/11

13) अलखिनी देवी - 28/11/11

14) अलखिनी देवी - 28/11/11

15) अलखिनी देवी - 28/11/11

16) अलखिनी देवी - 28/11/11

17) अलखिनी देवी - 28/11/11

18) अलखिनी देवी - 28/11/11

19) अलखिनी देवी - 28/11/11

20) अलखिनी देवी - 28/11/11